



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23122020-223902
CG-DL-E-23122020-223902

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4109]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 23, 2020/पौष 2, 1942

No. 4109]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 23, 2020/PAUSHA 2, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2020

का.आ. 4672(अ).—पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 खंड (क) के अनुसरण में (द)भारत सरकार एतद् द्वारा, तमिल नाडु राज्य में मैसर्स गेल (इण्डिया) लिमिटेड की कोच्चि-कूटानद-बेंगलुरु-मंगलौर पाइपलाइन (केकेबीएमपीएल) परियोजना के लिये पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के तहत श्री थिरु पी. गुनासेकरन, राजस्व विभागीय अधिकारी, होसुर, तमिलनाडु सरकार को, अतिरिक्त कार्यभार आधार, पर सक्षम प्राधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिये प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. एल-14014/21/2016-जीपी-II]

राज किशोर, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd December, 2020

S.O. 4672(E).—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter called the said Act), the Government of India hereby authorizes Shri Thiru. P. Gunasekaran, Revenue Divisional Officer, Hosur, Government of Tamil Nadu to perform the functions of Competent Authority on additional charge basis under the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 for Kochi-Koottanad-Banguluru-Mangalore Pipeline (KKBMPL) Projects of M/s. GAIL (India) Limited in the State of Tamil Nadu.

2. This notification will be effective from the date of its issue.

[F. No. L-14014/21/2016-GP-II]

RAJ KISHORE, Under Secy.